Viva Voce letter Ref. No. SVC/Res-/3131/377
Date of Viva Voce - 28/11/20 (01)

जनपद बुलंदशहर के
निर्धन ग्रामीण परिवारों की
वित्तीय आवश्यकताओं का
एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

से वाणिज्य विषय में पी-एच0डी0 उपाधि हेतु

2020 **प्रस्तुत** ABSTRACT

पर्यवेक्षक:

डॉ हिमांशु अग्रवाल

नेट, पी-एच0डी0, डी0 लिट्0

एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,

डी0 एन0 कॉलेज, मेरठ।

शोधार्थी:

अलका शर्मा

पुत्री श्री हरिओम शर्मा

C/o श्री विजय कुमार शर्मा

राजकीय कृषि विद्यालय, बुलंदशहर।

Res.-2/A/1300817/3472

शोध-केंद्र: डी0 एन0 कॉलिज, मेरठ।

NAAC 'A' Grade and CPE Awarded

ABSTRACT

निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें एक परिवार निरंतरता में जीवन-यापन के लिए आवश्यक सामग्री को पाने में असमर्थ रहता है। निर्धनता की परिभाषा विभिन्न रूप से प्रस्तुत की गई है परंतु इसका आधार न्यूनतम या अच्छे जीवन स्तर की कल्पना ही है। भारतीय योजना- आयोग के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन के अनुसार खाद्य-पदार्थ प्राप्त नहीं होता है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना गया है। हमारी योजनाओं में सामाजिक न्याय की बात बराबर कही गई है लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। छठी पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया गया था कि यहां लगभग 50% जनसंख्या लंबे समय से गरीबी की रेखा के नीचे रह रही है। छठी पंचवर्षीय योजना से चलते-चलते अब 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012 से 2017) आ गई है। यहां तक कि योजना-आयोग को समाप्त कर नीति-आयोग बना दिया गया है। नीति-आयोग में पंचवर्षीय योजनाओं को आधार ना देकर सतत विकास को सुनिश्चित किया गया है। इसके उपरांत भी निर्धनता निरंतर बढ़ रही है। वास्तव में देखा जाए तो इन ग्रामीण निर्धनता-उन्मूलन कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर एक सम्यक तथा वस्तु-परक अध्ययन की आवश्यकता है जो सरकार द्वारा निरंतर प्रयत्नों तथा धनराशि खर्च करने के बावजूद प्रत्यक्ष समुचित परिणाम न प्राप्त होने के कारणों का गहनता के साथ पता लगाये और ग्रामीण निर्धन परिवारों की समुचित वित्तीय आवश्यकताओं के अनुमान तथा उसकी पूर्ति के विषय में सुझाव प्रस्तुत कर सके।

इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शोध का विषय बुलंदशहर के निर्धन ग्रामीण परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन लिया गया है। अध्ययन की सरलता के लिए शोध-प्रबंध को सात अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय- प्रस्तावना, द्वितीय

अध्याय- साहित्य समीक्षा, तृतीय अध्याय- शोध-योजना, चतुर्थ अध्याय- ग्रामीण निर्धन परिवारों के रोजगार, आय, संपत्ति एवं ऋण संरचना का विश्लेषणात्मक अध्ययन, पंचम अध्याय- ग्रामीण निर्धन परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं का विश्लेषण एवं उपलब्ध योजनाओं की उपयुक्तता, षष्ठ अध्याय- ग्रामीण निर्धन परिवारों की आय-अर्जन तथा ऋण भुगतान क्षमता एवं जीवन स्तर पर विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन व सप्तम अध्याय-निष्कर्ष एवं सुझाव है।

ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले निर्धन परिवारों की निर्धनता का मुख्य कारण योजनाओं की आधी-अधूरी जानकारी या योजनाओं की कोई भी जानकारी न होना या अशिक्षा, उदासीनता, आर्थिक चेतना का अभाव तथा स्वार्थ की भावना, ग्रामीण परिवारों को किसी भी योजना का पूरा लाभ नहीं पहुंचने देती। अतः कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ केवल अधिकारियों व कर्मचारियों को ही हो पाता है व निर्धन परिवार इन योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं उठा पाते।

सरकार द्वारा गरीबी-रेखा से नीचे रह रहे निर्धन परिवारों के आर्थिक सुधार के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से ऋण-संबंधी सहायता देने के स्थान पर सामूहिक विकास योजनाओं को प्रारंभ किया जाना चाहिए। ये योजनाएं कृषि, पशुपालन, मत्स्य-पालन, मुर्गी पालन, टोकरी-उत्पादन एवं अन्य छोटे-छोटे घरेलू उत्पादों के रूप में प्रारंभ की जानी चाहिए।

सरकार को कुछ ऐसे उपाय सुनिश्चित करने चाहिए जिससे खंड विकास अधिकारियों एवं ग्राम-पंचायत अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के शोषण की संभावनाएं समाप्त हो सकें। योजना अधिकारियों को यह स्पष्ट आदेश दिए जाने चाहिए कि वे लाभार्थियों को योजना में सम्मिलित करते समय उनकी आय, संपत्ति, शिक्षा, परंपरागत पेशे एवं योग्यता संबंधी पहलुओं पर विशेष ध्यान दें।